

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

किस्म ता0दायरा ता0 फाईनल निर्णय
4 दावा 19.02.14 08.05.18
नाथ्या पुत्र मीढ्या जाति बैरवा (फौत)

1/1 राजू पुत्र नाथ्या
1/2 रामकेश पुत्र नाथ्या
1/3 तेजराम पुत्र नाथ्या सभी जाति बैरवा निवासी खावदा तह0 सपोटरा
धप्पो पुत्री मीढ्या जाति बैरवा निवासी खावदा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

बनाम

-वादीगण

पूरण पुत्र हट्टी
कल्याण पुत्र हट्टी (फौत)
2/1 कल्लो बेवा कल्याण
2/2 मुकेश पुत्र कल्याण
2/3 मुन्शी पुत्र कल्याण
2/4 पूजा पुत्री कल्याण
2/5 धनराज पुत्र कल्याण
2/6 इमरती पुत्री कल्याण
2/7 बर्फी पुत्री कल्याण
कड़ी बेवा हट्टी

सभी जातिगण बैरवा निवासीयान खावदा तहसील
सपोटरा जिला करौली

लैण्ड होल्डर तथा सब रजिस्ट्रार जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)
-प्रतिवादीगण


दावा बाबत बंटवारा एवम स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2018 मे पेश हुई।
को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम
तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं
गश्त की आराजी का बंटवारा बाबत किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई
निर्णय दिनांक 27.12.2017 एवं संशोधित प्राथमिक निर्णय दिनांक 19.04.2018 द्वारा प्राथमिक
किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एल आर 2018/12 दिनांक 08.05.2018 द्वारा बंटवारा
पुप्त हुई, अवलोकन किया गया। वादी भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादीगण फाईनल
किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादीगण मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया
गाम खावदा तहसील सपोटरा की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता

1. वादीगण राजू रामकेश तेजराम पि0 नाथ्या धप्पो पुत्री मीढ्या जाति बैरवा निवासी खावदा
के हिस्से में ख0नं0 246/1 रकवा 01 बीघा 18 बिस्वा रहेगा।
2. पूरन पुत्र हट्टी मुकेश, मुन्शी, धनराज पि0 कल्याण बरफी, इमरती, पूजा पुत्रीयान
कल्याण कल्लो पत्नि कल्याण, कड़ी पत्नि हट्टी जाति बैरवा निवासी खावदा के हिस्से मे
खसरा नं0 246/2 रकवा 08 बिस्वा, ख0नं0 334 रकवा 01 बीघा 11 बिस्वा कुल कित
2 का कुल रकवा 1 बीघा 19 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार
डिक्री जारी हो।


पीठासीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
सपोटरा जिला करौली (राज0)